

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक ..... C/3822 /

जबलपुर, दिनांक 2/8/2022

दो-13-57/22

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 161/4/31/82/नि-1/चार, दिनांक 31.01.1983 एवं वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019 में निहित प्रावधान के अनुसार स्व. श्री प्रशांत सोनुने, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट की मृत्यु दिनांक 10/02/2022 को हो जाने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखे में शेष 228 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान किए जाने की स्वीकृति एवं उक्त राशि का भुगतान श्रीमती आरती सोनुने, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट पत्नि स्व. श्री प्रशांत सोनुने, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट को किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सही/-

(विकास चंद्र मिश्रा)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)


पृष्ठांकन क्र. C/3823 /

जबलपुर, दिनांक 2/8/2022

दो-14-57/22

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
3. सहायक वेतन पत्रक/अवकाश/सेवापुस्तिका/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
5. श्रीमती आरती सोनुने, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट पत्नि स्व. श्री प्रशांत सोनुने, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(विकास चंद्र मिश्रा)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)  
A